Email
Time 2:00 PM
Date 29/8/25

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक **21-08-2025**

क्रमांक **F-1/1/4/0034/2025-Sec-1-10(FOR)::** राज्य शासन आदेश क्रमांक क्र/एफ- **1/1/4/ 0018/2025-1-10,** दिनांक **17.06.2025** द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार सोलंकी, वनक्षेत्रपाल को परिक्षेत्र अधिकारी, उत्पादन वनमण्डल देवास से स्थानांतरित कर परिक्षेत्र अधिकारी, पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में पदस्थ किया गया, जिसके विरूद्ध श्री राजेन्द्र कुमार सोलंकी, वनक्षेत्रपाल द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र **22222/2025** में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक **20.06.2025** को निर्णय पारित कर निम्न निर्देश दिये गये:-

..... in the available facts of the case, it is directed that the petitioner should prefer a representation against his transfer order before the competent authority within a period of seven days from today along with all relevant documents. In case such a representation is preferred by the petitioner then the same shall be decided by the competent authority in accordance with law by passing a reasoned and a speaking order within a period of four weeks from the date of filing of the same by affording due opportunity of hearing to all concerned parties.

In case representation is preferred by the petitioner within a period of seven days from today then till decision of the same, he shall not be relieved, if not already relieved as on the date of filing of this petition i.e. 20.06.2025.

2 / मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक **20.06.2025** के पालन में श्री राजेन्द्र सोलंकी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक **28.06.2025** में मुख्यत: लेख किया कि उनका स्थानांतरण दिनांक **03.10.2023** द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी, उत्पादन वनमण्डल देवास में किया गया इसके **18** माह बाद ही दूसरा स्थानांतरण शासन आदेश दिनांक **17.06.2025** द्वारा उत्पादन वनमण्डल देवास से पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में किया गया है। उनका पिछले वर्षों में लगातार तीसरा स्थानांतरण हुआ है। उनके उपरोक्त सभी स्थानांतरण में उनके पदस्थिति स्थान की दूरिया औसतन **550** किलोमीटर रहीं है। उनकी पुत्री देवास के प्राइवेट स्कूल में अध्ययनरत है एवं उनके पिताजी के घुटनों का इलाज इंदौर अस्पताल में जारी है। अत: शासनादेश दिनांक **17.06.2025** द्वारा नवीन पदस्थिति अर्थात परिक्षेत्र अधिकारी पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना को संशोधित कर परिक्षेत्र अधिकारी, उत्पादन

कक्ष / कर्मचारी का नाम
अ.प्र.मु.व.स. (सू.प्रौ.)

वनमण्डल देवास में यथावत रखने का कष्ट करें। श्री राजेन्द्र कुमार सोलंकी, वनक्षेत्रपाल दिनांक **13** अगस्त **2025** को अपर मुख्य सचिव के समक्ष स्वयं उपस्थित हुए तथा उन्हे सुना गया।

3/ श्री सोलंकी के अभ्यावेदन में उल्लेखित बिन्दुओं में कि उनका यह तीसरा स्थानांतरण है मान्य योग्य नहीं है. शासन आदेश दिनांक **24.09.2020** से उनकी पदस्थिति कार्य आयोजना इकाई छतरपुर में की गई थी जो कार्य आयोजना नीति अनुसार स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आती है। शासन आदेश दिनांक **03.10.2023** से उनकी कार्य आयोजना इकाई में दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर पदस्थापना उत्पादन वनमंडल देवास में की गई थी। श्री सोलंकी द्वारा **18** माह की अल्पावधि में लेख किया गया है जबकि उनसे प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक **12.01.2024** में उनके द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान से वन्यप्राणियों के प्रबंधन से संबंधित विशेष प्रशिक्षण सर्टिफिकेट कोर्स पूर्ण करने को ध्यान में रखते हुये सतपुड़ा टाईगर रिजर्व नर्मदापुरम में स्थानांतरण हेतु अनुरोध किया गया है। श्री सोलंकी की नवीन पदस्थापना स्थल पर भी बच्चों की पढाई की सुविधा है। उनके पिताजी के घुटनों का यदि भविष्य में ऑपरेशन कराया जाता है तो उक्त अवधि मे उनके द्वारा अवकाश का उपभोग किया जा सकता है।

4/ वनक्षेत्रपाल का पद द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी का पद होने से राज्य शासन अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी अधिकारी की पदस्थापना पर विचार कर सकता है।

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा पूर्ण विचारोपरांत श्री राजेन्द्र सोलंकी, वनक्षेत्रपाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक **28.06.2025** को अमान्य कर नस्तीबद्ध करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Rajbendra Mishra
Date: 21-08-2025
18:08:55

EX OFFICIO DEPUTY
SECRETARY

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक **F-1/1/4/0034/2025-Sec-1-10**, भोपाल दिनांक **21-08-2025**

प्रतिलिपि:-

1.सचिव, माननीय मुख्मंत्री कार्यालय, भोपाल।

2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।

4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्यो.) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी .... मध्यप्रदेश द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-।।) मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र.मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. संबंधित .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-।।) मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. गार्ड फाईल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

EX OFFICIO DEPUTY
SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल
(शाखा-प्रशासन-।।)

पृ.क्र./प्रशा-।।/स्था-3/व.क्षे.कक्ष/ 4689 **भोपाल दिनांक** 29/08/2025
प्रतिलिपिः

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) वन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आदेश की प्रति प्रेषित है। कृपया वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक उज्जैन/छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी उत्पादन वनमण्डल देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया आदेश की प्रति श्री राजेन्द्र सोलंकी, वनक्षेत्रपाल को तामिल कराते हुए शीघ्र नवीन पदस्थिति हेतु भारमुक्त करना सुनिश्चित करें।
5. श्री राजेन्द्र सोलंकी, वनक्षत्रेपाल द्वारा वनमण्डलाधिकारी उत्पादन वनमण्डल देवास के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आदेश/गार्ड फाईल।

(कमलिका मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा-।।)
मध्यप्रदेश भोपाल